**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 454**

**उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018**

**जवाहर नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन का लाभ**

**454. श्री विनय दीनू तेंदुलकरः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास जवाहर नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पेंशन का लाभ

फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में यदि कोई वित्तीय और प्रशासनिक बाधाएं हैं तो उनका ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (घ): जीपीएफ योजना में परिवर्तित कराने का विकल्‍प केवल उन्‍हीं संस्‍थाओं के कर्मचारियों के पास था जो 1.1.1986 से पहले अस्‍तित्‍व में थीं। चूंकि नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) को केवल 28.2.1986 को ही एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, एनवीएस के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ योजना में परिवर्तित कराने का विकल्‍प लागू नहीं था। एनवीएस के कर्मचारियों को, उसकी स्‍थापना से ही अंशदायी भविष्‍य निधि (सीपीएफ) के लाभ दिए गए हैं। 1.1.2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई नई पेंशन येाजना (एनपीएस) को 1.4.2009 से एनवीएस के नियमित कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। उन कर्मचारियों को जिन्‍होंने 1.4.2009 से पूर्व नियमित आधार पर एनवीएस में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, ने मौजूदा सीपीएफ योजना में बने रहने अथवा एनपीएस में शामिल होने का विकल्‍प दिया गया था। इस विकल्‍प का चयन 3.11.2009 तक कर लिया जाना था। एनवीएस के वे कर्मचारी, जिन्‍होंने एनपीएस का विकल्‍प चुना है और उसके अंतर्गत कवर किए गए हैं, इस योजना के अधीन परिकल्‍पित लाभों के लिए पात्र हैं। अत: जवाहर नवोदय विद्यालयों के अध्‍यापक द्वारा चुने गए विकल्‍प के अनुसार या तो सीपीएफ योजना अथवा एनपीएस योजना के लाभों के लिए पहले ही पात्र हैं।

\*\*\*\*\*